

Share Department, Board & Coordination Division, Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075

Tel No: 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	The Dy General Manager BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 17.08.2021

Dear Sir (s),

Reg.: Newspaper publication- Notice of the EGM.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the Notice of EGM published in Business Standard (Hindi and English editions) on 17.08.2021.

This is for your information and record please.

Thanking you

Yours faithfully,




(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Encl. A/a

Share Department, Board & Coordination Division, Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075

Tel No: 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

नई दिल्ली | 17 अगस्त 2021 मंगलवार **बिज़नेस स्टैंडर्ड**

पंजाब नैशनल बैंक  **punjab national bank**
...मरसे का प्रतीक... ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं.- 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (ई-मेल : hosd@pnb.co.in)

वीसी/ओपीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की असाधारण आम बैठक की सूचना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओपीएम) के माध्यम से बुधवार, 08 सितंबर, 2021 को प्रातः 11:00 (भारतीय मानक समय) बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से संबंधित दिनांक 29.07.2021 [30.07.2021 को प्रकाशित] की हमारी सूचना के संदर्भ में :

'राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2000 पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर दिनांक 02 अगस्त, 2019 को जारी आरबीआई के मास्टर निदेश, यथा संशोधित तथा नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य निदेशों/दिशा-निर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से पंजाब नेशनल बैंक के एक निदेशक का निर्वाचन करने हेतु।

टिप्पणियाँ:

- कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 तथा इसके बाद जारी परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी11/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओपीएम) के माध्यम से किसी सार्वजनिक स्थल पर शेयरधारकों के मौखिक रूप से उपस्थित हुए बिना, कराने की अनुमति दी गई है। निर्णित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
- उपरोक्त उल्लिखित प्रयोज्य दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, असाधारण आम बैठक की सूचना की केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन समस्त शेयरधारकों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते बैंक/निष्पापार सहभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। असाधारण आम बैठक की विस्तृत सूचना प्रासंगिक प्रपत्रों के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों अर्थात् क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निष्पापार लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- शेयरधारक केवल वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पीएनबी (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 2000 के विनियम 58 के तहत कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी। असाधारण आम बैठक में वीसी/ओपीएम के माध्यम से भाग लेने के निर्देश विस्तृत सूचना में उल्लिखित हैं।
- शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित [ई-मतदान नियम] के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को अपने शेयरधारकों को, राष्ट्रीय प्रतिभूति निष्पापार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-मतदान तथा असाधारण आम बैठक के दौरान ई-मतदान) द्वारा चुनाव में मतदान करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए हर्ष हो रहा है तथा शेयरधारक इसके लिए एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सूचना में विस्तारपूर्वक दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तिथि:** बैंक ने पूर्वकथित चुनाव में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान (दूरस्थ ई-वोटिंग और असाधारण आम बैठक में ई-वोटिंग) करके भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से **शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021** को निर्दिष्ट/अंतिम तिथि के रूप में सुनिश्चित किया जाना दिनांक 29.07.2021 की सूचना के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया है।
- दिनांक 29.07.2021 के हमारे नोटिस के द्वारा उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2021 (मंगलवार) को सांयकाल 05.00 बजे तक होना पहले ही सूचित कर दिया गया है।**
- नामांकन की जीय तथा सीर और उचित स्थिति के निर्धारण के बाद वैध उम्मीदवारों के नामों को अधिसूचित किया जाएगा, केवल एक वैध उम्मीदवार के मामले में कथित उम्मीदवार चयनित किया हुआ माना जाएगा तथा कोई ईजीएम आयोजित नहीं होगी। यदि एक से अधिक वैध उम्मीदवार हैं, तब जैसा अधिसूचित किया गया था 8 सितंबर 2021 को चुनाव कराए जायेंगे।
- अंतिम तिथि अर्थात् 13 अगस्त, 2021** को शेयर रखने वाले शेयरधारक, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सूचना में यथा उपलब्ध प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम अंतिम तिथि के अनुसार शेयरधारक/लाभकारी स्वामी के रजिस्ट्रार (निष्पापारों द्वारा रखा गया) में दर्ज है, वह दूरस्थ ई-मतदान/असाधारण आम बैठक में ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
- दूरस्थ ई-मतदान की अवधि:** दूरस्थ ई-मतदान **शुक्रवार 03 सितंबर 2021 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगा और मंगलवार 07 सितंबर 2021 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगा** तथा इस तिथि और समय के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13 अगस्त 2021 के अनुसार अंशधारियों को मतदान करने का अधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए बैंक के इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से ऊपर उसके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम में होता है, तो रजिस्ट्रार में प्रथम नाम के व्यक्ति को, मतदान के मामले में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
- ई-वोटिंग नियमों के अनुसार, केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में मौजूद हैं तथा जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं खोला है और अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं है, उन्हें असाधारण आम बैठक में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एक शेयरधारक ईजीएम में भाग ले सकता है, परंतु ऐसे शेयरधारक को फिर से असाधारण आम बैठक में मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- अंतिम, मौखिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक और/या शेयरधारक जिन्होंने बैंक/निष्पापार में अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे दूरस्थ ई-मतदान / असाधारण आम बैठक के दौरान ई-मतदान के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.in पर उपलब्ध असाधारण आम बैठक की सूचना में निर्धारित है।
- मौखिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात् मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राई.) लिमिटेड के साथ beetal@beetalfinancial.com पर पंजीकृत करें और वे शेयरधारक जिन्होंने डीमैट रूप में शेयर धारण कर रखे हैं और अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने निष्पापार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें।
- बैंक में एक्सेस करने और भाग लेने के लिए अपेक्षित सहायता सहित किसी भी जानकारी/शिकायत के मामले में आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या **सुश्री पल्लवी शर्मा, प्रबंधक, राष्ट्रीय प्रतिभूति निष्पापार लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, छतुर्दश तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर फरेल, मुंबई - 400013** से निर्दिष्ट ईमेल आईडी— evoting@nsdl.co.in द्वारा +91-22-24994360, +91-22-24994545 पर संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 11800-1020-990 और 1800-22-44-30 पर कॉल करें।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी अन्य जानकारी/प्रक्रिया के लिए ईजीएम के विस्तृत नोटिस का संदर्भ लें।


निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नेशनल बैंक
ह/./.
(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.08.2021

Share Department, Board & Coordination Division, Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075

Tel No: 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Business Standard NEW DELHI | TUESDAY, 17 AUGUST 2021

पंजाब नैशनल बैंक  punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075. (Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting of the Bank to be held through VC/OAVM

This has reference to our Notice dated 29.07.2021[published on 30.07.2021] regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank to be held on **Wednesday 08th September, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

To elect **ONE** Director of Punjab National Bank from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated August 02, 2019 as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.'

Notes:

- In view of COVID-19 pandemic, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 followed by Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the convening of the Extraordinary General Meeting ("EGM") through VC/OAVM, without the physical presence of shareholders at a common venue. The deemed venue for EGM shall be the Head Office of the Bank.
- In compliance of the aforesaid applicable Guidelines, the Notice of the EGM has been sent *only* in electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). A copy of the detailed Notice of the EGM inter alia containing the relevant Forms is available on the Bank's website i.e. www.pnbIndia.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseIndia.com and www.nseIndia.com, respectively, and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.
- Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
- Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ["E-voting Rules"] read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in the Election by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the shareholders may follow the procedure for the same as detailed in the Notice available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- The **Specified/ Cut-off Date** for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating i.e. nominating, contesting and voting (remote e-voting and e-voting at the EGM) in the aforesaid Election is **13th August, 2021 (Friday)** as already informed vide our Notice dated 29.07.2021.
- The **last date and time for submission of Nomination forms by the candidates is 24th August, 2021 (Tuesday) by 05.00 p.m.** as already informed vide our Notice dated 29.07.2021.
- After scrutiny of nomination and determination of Fit & Proper Status, the names of valid candidates will be notified. In case there is only one valid candidate, the said candidate will be deemed to have been elected and no EGM will be held. If there are more than one valid candidates, then elections will be held on 8th September 2021 as notified.
- The Shareholder holding shares as on the **Cut-Off Date i.e. 13th August, 2021**, may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial Owners (maintained by the Depositories) as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the EGM.
- The remote e-voting will commence from **9:00 a.m. on Friday, 03rd September, 2021 and end at 05.00 p.m. on Tuesday, 07th September, 2021** and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time.
- The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Bank as on August 13, 2021. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system during the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again during the EGM.
- Share holders holding shares in dematerialized form, physical form and shareholders who have not registered their email ids with the Bank/Depository may refer to the procedure for casting vote through remote e-voting/e-voting during the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM.
- Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. by sending an email at beetal@beetalfinancial.com and those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered / updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
- In case of any queries/grievances including assistance required to access and participate in the meeting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact **Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013** at the designated email id - evoting@nsdl.co.in (Contact Nos.: +91-22-2499 4360; +91-22-2499 4545) or call on toll free nos.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30.
- Shareholders are requested to refer the detailed Notice of EGM for all other relevant information/procedures.

By Order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
Sd/-
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 16.08.2021